न्यायालय सहायक कलक्टर कोर्ट केम्प सिंघाना, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 20/2020 दायर दिनाँक 09.07.2020

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. नेमाराम उर्फ नेमला पुत्र आशाराम उर्फ आसू जाति जाट निवासी सिघांना तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।	बनाम्	1. रामूराम पुत्र कानाराम 2. चुंकादेवी पत्नि कानाराम 3. सुन्दरदेवी पुत्री कानाराम 4. सम्पति देवी पुत्री कानाराम 5. राजूराम पुत्र मुलाराम 6. हणमान पुत्र मुलाराम 7. मनोहरी पुत्री पुलाराम 8. फेफाराम पुत्र मोहना 9. भंवरी पत्नि मोहना 10. डमेदाराम पुत्र ज्ञानाराम 11. रामनिवास पुत्र ज्ञानाराम 12. लिखमाराम पुत्र ज्ञानाराम 13. भंवरलाल पुत्र तुलछाराम 14. सोहनाराम पुत्र तुलछाराम 15. मुकनाराम पुत्र तुलछाराम 16. भागीरथराम पुत्र तुलछाराम 17. मेघाराम पुत्र तुलछाराम 18. पेमा पुत्र किसना समस्त जाति जाट निवासी सिंघाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 19. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री लालसिंह गोदारा वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **02.10.2021**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि मौजा सिंघाना पटवार हल्का सिंघाना की शरहद में खेत खसरा सं0 25 रकबा 11 बिस्वा, खसरा सं0 38 रकबा 08 बिस्वा, खसरा सं0 39 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, खसरा सं0 245 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 247 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 454 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा, खसरा सं0 455 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 49 बीघा 17 बिस्वा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 18 की पैत्रिक सामलाती कब्जा काश्त की जमीन है।

यह है कि वादी के प[illegible] किशनाराम व शैतानाराम हुए। बींजाराम के फौत होने पर उक्रोक्[illegible] खातेदारी 1/2 हिस्से की किशनाराम व 1/2 [illegible] दर्ज हुई। किशनाराम के दो पुत्र तुलछाराम [illegible] के पांच पुत्र कानाराम, मोहना, ज्ञाना मुला आशाराम उर्फ आसू हुए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:05:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

यह है कि वादी के पिता आशाराम उर्फ आसू वादी के बाल्यअवस्था में ही फौत हो गये थे। वादी के दादा शैतानाराम बाद में फौत हुए थे। वादी के दादा शैतानाराम के फौत होने पर उनका फौतगी म्युटेशन संख्या 31 दिनांक 26.04.1975 में शैतानाराम बाद में फौत हुए थे। वादी के दादा शैतानाराम के पुत्रगण तथा पौत्र वादी (वारिसान) काना, मोहना, ज्ञाना, मूला व आसूराम के स्थान पर आसूराम का एक मात्र वारिस वादी नेमला का नाम दर्ज किया गया। और शैतानाराम के पांचो पुत्रों का 1/2 हिस्से की जमीन में प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा है।

यह है कि वादी के दादा शैतानाराम के फौतगी म्युटेशन की फर्द के पैरा 14 में पटवारी हल्का द्वारा नोट लगाया कि "आसूराम का दहान्त हो चुका जो शैतानाराम का पुत्र था" उसके बाद वादी का नाम आसूराम के स्थान पर दर्ज किया जाकर उक्त म्युटेशन को तहसीलदार डीडवाना ने स्वीकृत किया। मगर राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से जमाबन्दी में वादी का नाम भुलवश दर्ज नही हुआ जबकि उपरोक्त खेतो की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने का कानूनी हकदार है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है–

कि वाद की डिक्री बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 इस अमर की सादर फरमाई जावें कि मौजा सिंघाना पटवार हल्का सिंघाना की शरहद में खेत खसरा सं0 25 रकबा 11 बिस्वा, खसरा सं0 38 रकबा 08 बिस्वा, खसरा सं0 39 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, खसरा सं0 245 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 247 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 454 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा, खसरा सं0 455 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 49 बीघा 17 बिस्वा की 1/2 हिस्से में से 1/5 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 के साथ वादी नेमाराम उर्फ नेमला पुत्र आशाराम उर्फ असू के नाम घोषित किया जावें। तथा उपरोक्त खेतो की खातेदारी में से मु. हस्तु बेवा ज्ञाना व चुकि तुलछाराम फौत होने उनका नाम खातेदारी से हटाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। राजस्व लोक अदालतः प्रशासन गांवों के संग अभियान कोर्ट केम्प सिंघाना में पत्रावली पेश हुई। मौजा सिंघाना के उपरोक्त खसरान् में 1/2 हिस्से में से 1/5 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 के साथ वादी नेमाराम उर्फ नेमला पुत्र आशाराम उर्फ आसू के नाम घोषित किया जाना उचित प्रतित होता है।

प्रकरण में पक्षकारान् को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। वादी, वाद को वाद डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

प्रकरण में किसी पक्षकार ने वाद का खण्डन नहीं किया है। अतः बाद विवचेन, दावा डिक्री सादिर किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:05:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

आदेश

अतः हस्व दावा स्वीकार कर वाकै सरहद सिंघाना के खेत खसरा सं0 25, 38, 39, 245, 247, 454, 455 भूमि के 1/2 हिस्से में से 1/5 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 के साथ वादी नेमाराम उर्फ नेमला पुत्र आशाराम उर्फ आसू के नाम घोषित की जाती है। बेवा ज्ञाना, चुंका, तुलछाराम फौत होने से खातेदारी से नाम हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–सिंघाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **02.10..2021** को कोर्ट केम्प सिंघाना में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–सिंघाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:05:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर कार्ट केम्प सिंघाना, डीडवाना

बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **120/2020** दायर दिनाँक **09.07.2020**

वादीगण		**प्रतिवादीगण**
1. नेमाराम उर्फ नेमला पुत्र आशाराम उर्फ आसू जाति जाट निवासी सिघांना तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।	**बनाम्**	1. रामूराम पुत्र कानाराम 2. चुंकादेवी पत्नि कानाराम 3. सुन्दरदेवी पुत्री कानाराम 4. सम्पति देवी पुत्री कानाराम 5. राजूराम पुत्र मुलाराम 6. हणमान पुत्र मुलाराम 7. मनोहरी पुत्री पुलाराम 8. फेफाराम पुत्र मोहना 9. भंवरी पत्नि मोहना 10. डमेदाराम पुत्र ज्ञानाराम 11. रामनिवास पुत्र ज्ञानाराम 12. लिखमाराम पुत्र ज्ञानाराम 13. भंवरलाल पुत्र तुलछाराम 14. सोहनाराम पुत्र तुलछाराम 15. मुकनाराम पुत्र तुलछाराम 16. भागीरथराम पुत्र तुलछाराम 17. मेघाराम पुत्र तुलछाराम 18. पेमा पुत्र किसना समस्त जाति जाट निवासी सिंघाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 19. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **02.10.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री लालसिंह गोदारा वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, अतः हस्व दावा स्वीकार कर वाकै सरहद सिंघाना के खेत खसरा सं0 25, 38, 39, 245, 247, 454, 455 भूमि के 1/2 हिस्से में से 1/5 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 के साथ वादी नेमाराम उर्फ नेमला पुत्र आशाराम उर्फ आसू के नाम घोषित की जाती है। बेवा ज्ञाना, चुंका, तुलछाराम फौत होने से खातेदारी से नाम हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **02.10.2021** को सरे इजलास में जारी की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:15:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:05:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner